संख्या- 1153/43-2-2008-15/2(2)/03 TC-18

प्रेषक,

नागेश्वर नाथ उपाध्याय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 दिनांक : 27अक्टूबर, 2008

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत एक से अधिक जन सूचना अधिकारीं नामित होने की दशा में वरिष्ठ अधिकारी को जनसूचना अधिकारी (समन्वय) नामित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनयम, 2005 की धारा-5(1) में यह प्राविधान है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी सभी प्रशासनिक एकको या उसके अधीन कार्यालयों में जनसूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 05 के उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार वृहद विभागों में सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए कई जनसूचना अधिकारी नामित किये गये हैं, जिससे सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को यह कठिनाई हो रही है कि वह किस जनसूचना अधिकारी से सूचना हेतु अनुरोध करे।

अतः आपसे अनुरोध है कि यदि आपके विभाग में एक से अधिक जनसूचना अधिकारी नामित किये गये हैं तो सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ जनसूचना अधिकारी को जनसूचना अधिकारी (समन्वय) के रूप में नामित कर दिया जाये। जनसूचना अधिकारी (समन्वय) का यह दायित्व होगा कि वह विभाग में प्राप्त होने वाले विभाग से संबंधित सूचना संबंधी आवेदन पत्रों को संबंधित जनसूचना अधिकारियों को तत्काल उपलब्ध करना सुनिश्चित करेगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया जनसूचना अधिकारियों के साथ जनसूचना अधिकारी (समन्वय) का विवरण अपनी विभागीय वेवसाइट पर अपलोड कर उसकी सी.डी. तथा शासनादेशा सं0-695/43-2-2007, दिनांक 24 अप्रैल, 07 में निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग तथा उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग को शीघ्र उपलब्ध करा दी जाये।

भवदीय,

27/10/08

(नागेश्वर नाथ उपाध्याय)
प्रमुख सचिव।

संख्या- /2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि सचिव, राज्य सूचना आयोग को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(नागेश्वर नाथ उपाध्याय)
प्रमुख सचिव।